

उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग-02
संख्या-374/36-2-2026-2041256
लखनऊ; दिनांक: 17-04-2026

अधिसूचना
आदेश

चूँकि अपर श्रम आयुक्त, नोएडा द्वारा निर्गत पत्र संख्या-3522-26/जी.ए.आई.आर. दिनांक 09.04.2026 एवं प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2026 के माध्यम से गौतमबुद्ध नगर जनपद में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रम अशांति के परिणामस्वरूप कतिपय औद्योगिक इकाइयों के नियोक्ताओं और कर्मकारों के प्रतिनिधियों के मध्य हुई चर्चाओं के परिणाम के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है;

और चूँकि, उक्त सूचना में श्रमिकों द्वारा उठाई गई मांगें और नियोक्ताओं द्वारा उसके उत्तर में दी गयी सहमति सम्मिलित है, जिसमें कर्मकारों की प्राथमिक मांग हरियाणा राज्य में न्यूनतम मजदूरी के पैटर्न पर न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जानी थी;

और चूँकि, गौतमबुद्ध नगर जनपद में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रम अशांति के दृष्टिगत और औद्योगिक सद्भाव सुनिश्चित करने तथा शांति बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार ने कार्यालय ज्ञाप संख्या-617/36-3-2026 दिनांक 13.04.2026 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है; जिसमें अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग; प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग एवं श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को क्रमशः सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है। समिति में कर्मकारों के पांच प्रतिनिधि और नियोक्ताओं के तीन प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे;

और चूँकि, उक्त समिति ने दिनांक 13.04.2026 को गौतमबुद्ध नगर जनपद का दौरा किया और समस्त सुसंगत संबंधित हितधारकों, जिनमें कर्मकार, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अध्यासी/प्रतिनिधि और ठेकेदार सम्मिलित थे, के साथ चर्चा हुई;

चर्चा के दौरान, कर्मकारों के पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह बताया गया कि निर्वाह-व्यय में वृद्धि के कारण उन्हें अपनी शिष्ट आजीविका चलाने में कठिनाई हो रही है। अधिकांश कर्मकार किराए के आवासों में रहते हैं और भवन स्वामियों ने किराया भी बढ़ा दिया है। उपर्युक्त कारणों से मजदूरी में वृद्धि की आवश्यकता है;

दूसरी ओर, नियोक्ताओं के पक्ष की ओर से यह बताया गया कि वैश्विक शुल्क दरों में वृद्धि के कारण उनके कारबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वित्तीय भार अत्यधिक बढ़ गया है। इसके अलावा, विशेषकर पश्चिम एशिया में चल रहे वैश्विक घटनाक्रमों के कारण भी उनके कारबार प्रचालनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान श्रम अशांति के कारण कई सड़कें अवरुद्ध रहीं, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई;

और चूँकि, उच्च स्तरीय समिति ने श्रम एवं सेवायोजन विभाग से एक रिपोर्ट मांगी, जिसमें यह परिलक्षित हुआ है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन, उत्तर प्रदेश में 74 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) के आधार पर, जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 की अवधि के लिए 216 अंकों का औसत सूचकांक लेकर अवधारित की गयी थीं;

तत्पश्चात् जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए 301 अंकों के औसत सूचकांक के आधार पर, न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण वर्ष 2017 में होना था, जो दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी होना था। इसके अलावा, जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 की अवधि के लिए 400 अंकों के औसत सूचकांक के आधार पर, पुनरीक्षण दिनांक 01 अप्रैल 2024 से होना था। फिर, दिसम्बर 2025 के लिए 425 अंकों के औसत सूचकांक के आधार पर, पुनरीक्षण दिनांक 01 अप्रैल 2026 से होना है। तथापि, वर्ष 2019 और 2024 में ऐसे पुनरीक्षण क्रियान्वित नहीं किए जा सके।

और चूँकि, भारत सरकार द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 अधिसूचित तथा प्रारम्भ कर दी गयी है, और उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 को अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त संहिता के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को भौगोलिक परिस्थितियों, जीवन यापन की लागत, कार्य की प्रकृति और अन्य संसुगत कारकों के आधार पर मजदूरी की अन्तरीय दरें अवधारित करने हेतु सशक्त किया गया है;

तदनुसार, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विविधता, उद्योगों की स्थिति, नगरीय अवसंरचना और निर्वाह-व्यय को ध्यान में रखते हुए, श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ राज्य को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। इस वर्गीकरण में जिला गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद को श्रेणी-प्रथम में सम्मिलित किया गया है; नगर निगम वाले समस्त जिलों (गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) को श्रेणी-द्वितीय के अधीन प्रस्तावित किया गया है; और शेष समस्त जिलों को श्रेणी-तृतीय के अधीन प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव पर नियोक्ताओं तथा कर्मकारों दोनों ने सहमति व्यक्त की है;

और चूँकि, राज्य सरकार की राय में, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, औद्योगिक उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने और रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है;

अतएव, अब, श्रम आयुक्त के आदेश संख्या-1477-84 (एम.डब्ल्यू)/15 दिनांक 25.03.2026 (ईंट भट्टों में रोजगार को छोड़कर, जहां मजदूरी प्रति पीस रेट के आधार पर निर्धारित है) का अधिक्रमण करके और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रांत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1947) की धारा 3(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अंतरिम राहत के रूप में, कर्मकारों को नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर न्यूनतम मजदूरी संदत्त की जायेगी (उन रोजगारों में जहां न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी अधिनियम,

1948 के अधीन अन्यथा नियत है), और पूर्वोक्त अधिनियम, 1947 की धारा 19 के अधीन राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देते हैं कि यह आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।

सारणी

गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद जनपद हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें (श्रेणी-प्रथम)

श्रेणी	दिनांक 01-04-2026 से प्रभावी मूल मजदूरी (₹)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)	कुल योग (रूपये में)
अकुशल	12885	805	13690
अर्द्धकुशल	14173	886	15059
कुशल	15876	992	16868

उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें (श्रेणी-द्वितीय)

श्रेणी	दिनांक 01-04-2026 से प्रभावी मूल मजदूरी (₹)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)	कुल योग (रूपये में)
अकुशल	12241	765	13006
अर्द्धकुशल	13464	842	14306
कुशल	15082	943	16025

उत्तर प्रदेश में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के जनपदों से भिन्न जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें (श्रेणी-तृतीय)

श्रेणी	दिनांक 01-04-2026 से प्रभावी मूल मजदूरी (₹)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)	कुल योग (रूपये में)
अकुशल	11629	727	12356
अर्द्धकुशल	12791	799	13590
कुशल	14328	896	15224

(डॉ० एम०के० शन्मुगा सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव

संख्या- 374(1)/36-2-2026-2041256, तददिनांक,

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश)।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराने एवं अधिसूचना की 500 मुद्रित प्रतियाँ श्रम अनुभाग-02, उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा 300 प्रतियाँ श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. समस्त अनुभाग, श्रम विभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव